राजस्थान सरकार

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:– 94 / 2019

वादीगण:–

1. पन्नालाल पुत्र श्री बिरमाराम
2. परमसुख पुत्र श्री बिरमाराम
3. मेघराज पुत्र श्री बिरमाराम
4. पूनमचन्द पुत्र श्री बिरमाराम

   सभी जातियान पालीवाल निवासी बड़ाबास चेराई

   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. कानाराम भाकर पि. उदाराम
3. मोहनराम जाणी पि. सीमाराम
4. प्रेमराम पि. रामसुखराम उर्फ रामुराम

   जाति जाट निवासी पांचला

   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
5. रावतराम पि. गोरधनराम जाति जाट निवासी अर्जुनदेवनगर

   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
6. अमका पत्नी श्री मघाराम
7. जगदीशप्रसाद पुत्र श्री मुलाराम

   जाति प्रजापत निवासी मीनों की ढाणी

   तहसील [illegible], जिला [illegible]
8. राणा[illegible] पुत्र श्री [illegible] एकलखोरी,

   तहसील ओसियां, जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपस्थित –

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पेंपसिंह भाटी।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत्

–::निर्णय::–

दिनांकः– 7/11/19

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रेकर्ड दुरस्ती का इस आशय का पेश किया कि– ग्राम चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 2131 रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2133 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, तथा ग्राम डउकियों का बास तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 2429 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के नाम की खातेदारी की है तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। वादी संख्या 1 दो नामों से जाना जाता है। घरेलू बोलचाल का नाम ईश्वरलाल है तथा बाहरी बोलचाल का नाम पन्नालाल है दोनों नाम वादी संख्या 1 के ही है दो नामों का अलग–अलग व्यक्तियों नहीं है। राजस्व रेकर्ड ग्राम चेराई व डउकियों का बास की जमाबन्दीयों में बोलचाल का नाम ईश्वरलाल पि. बिरमाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। इसलिए ग्राम चेराई व डउकियों का बास के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का गलत नाम ईश्वरलाल के स्थान पर सही नाम सरकारी दस्तावेज अनुसार पन्नालाल दर्ज कर खातेदार घोषित करवाने के लिए यह दावा पेश है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड अन्य सही नाम के दस्तावेजों की प्रतियां साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरान के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 के घरेलु बोलचाल का गलत नाम ईश्वरलाल दर्ज होने के कारण उक्त खसरान की भूमि का विभाजन तथा भूमि सम्बन्धी विकास कार्य व अन्य किसी तरह की कार्यवाही करने में कठिनाई होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम ईश्वरलाल पि. बिरमाराम के स्थान पर पन्नालाल पुत्र श्री बिरमाराम के नाम की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु यह वाद पेश है। ग्राम चेराई तहसील तिंवरी के खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नम्बर 2131 रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2133 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा तथा तहसील तिंवरी के ग्राम डउकियों का बास के खसरा नम्बर 2429 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा, में वादी संख्या 1 का नाम ईश्वरलाल पि. बिरमाराम के स्थान पर सही नाम पन्नालाल पि. बिरमाराम के नाम खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहे न्यायालय समय में तीन बार रूक–रूक कर आवाजे लगाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की ओर से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नहीं आये, अतः प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार तिंवरी ने इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार तिंवरी ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम चेराई व डउकियों का बास जमाबन्दी चौसाला संवत् 2073 से 2076 के खसरा नम्बर 2131 रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2133 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा तथा तहसील तिंवरी के ग्राम डउकियों का बास के खसरा नम्बर 2429 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा में संयुक्त खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम ईश्वरलाल पि. बिरमाराम दर्ज है। प्रार्थी/वादी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आवासीय पट्टा विलेख में सही नाम पन्नालाल पि. बिरमाराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी व अन्य स्वयं के दस्तावेज में दर्ज नाम में अन्तर है। अतः वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में ईश्वरलाल पि. बिरमाराम के स्थान पर पन्नालाल पि. बिरमाराम [illegible] किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान [illegible] सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम चेराई [illegible] रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, [illegible] नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2133 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा तथा तहसील तिंवरी के ग्राम डउकियों का बास के खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

2429 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा में ईश्वरलाल पि. बिरमाराम संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज है जो गलत है, सही नाम पन्नालाल पि. बिरमाराम किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी/वादी का वाद पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के इकबालिया जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वाद पत्र को बल मिलता है, वादीगण के वाद पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। मैंने पक्षकारान की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर मनन किया, वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूँ। अतः ग्राम चेराई के खसरा नम्बर 2131 रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2133 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा तथा तहसील तिंवरी के ग्राम डउकियों का बास के खसरा नम्बर 2429 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा संयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 का नाम ईश्वरलाल पि. बिरमाराम के स्थान पर पन्नालाल पि. बिरमाराम किये जाने का आदेश दिया जाता है, तहसीलदार तिंवरी को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 पन्नालाल पि. बिरमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड शुद्ध किया जाकर खातेदार घोषित किया जावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय आज दिनांक 07/11/2019 को खुला न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner